राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ड.)(   )(का.भा.) स्वा.शा./23/672   दिनांकः 31/03 /2023

आदेश

श्री पीर मोहम्मद, निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत नरायना को विभागीय आदेश क्रमांक 2269–2285 दिनांक 02/09/2022 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01./06./2021 को दृष्टिगत रखते हुए नवगठित नगरपालिका नरायना के अध्यक्ष पद हेतु अधिकृत किया गया था।

उपायुक्त एवं शासन सचिव (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 3(2) पराविं/जांच/नरायना/जयपुर/2022/2960 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा श्री पीर मोहम्मद संरपंच ग्राम पंचायत नरायना को आदेश क्रमांक 335 दिनांक 01/02/2022 के द्वारा निलम्बन किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं0 7596/2022 दायर कर निलम्बन आदेश को चुनौति दिये जाने पर दिनांक 14.07.2022 के द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था।

माननीय माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं0 7596/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2022 के द्वारा पूर्व में दिनांक 14.07.2022 को दिये गये स्थगन आदेश एवं याचिका खारिज कर दिया गया । इस प्रकार श्री पीर मोहम्मद का पंचायत विभाग द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 01/02/2022 प्रभावी हो जाने से अध्यक्ष नवगठित नगर पालिका नरायना का पद स्वतः रिक्त हो जाता है। अध्यक्ष ग्राम पंचायत नरायना का पद सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 (1) (i) (क) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष नवगठित नगरपालिका नरायना को अध्यक्ष पद के कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

D/SHRIMAL JI/Order charge in M.B.

क्रमांकः प.8(ड.)( )(का.भा.) स्वा.शा./23/673-692 दिनांकः 31/03/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर ।
05. निजी सचिव, सचिव/उपायुक्त एवं शासन सचिव,(जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा श्री पीर मोहम्मद सरपंच ग्रांम पंचायत नरायना के जारी निलम्बन आदेश कंमाक 335 दिनांक 01/02/2022 एवं आदेश कंमाक 2960 दिनांक 29/07/2022 के कंम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
06. संभागीय आयुक्त जयपुर / जिला कलेक्टर जयपुर / उपखण्ड अधिकारी (नरायना) जयपुर।
07. निजी सचिव, सचिव,/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
08. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक भाग 6 (क) राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
09. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर – तृतीय जयपुर ।
10. सहायक निदेशक (सर्तकता) निदेशालय को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
12. अधिशासी अधिकारी नवगठित नगर पालिका नरायना जिला जयपुर ।
13. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
15. श्री पीर मोहम्मद, निलम्बित सरपंच ग्रांम पंचायत नरायना एवं निलम्बित अध्यक्ष नवगठित नगर पालिका नरायना जिला जयपुर ।
16. उपाध्यक्ष, नवगठित नगर पालिका नरायना /उप सरपंच तत्कालीन ग्रांम पंचायत नरायना ।
17. प्रोग्ररामर, (आई टी सैल) निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/SHRIMAL JI/Order charge in M.B